<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>04.01.2023</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.12.2023 को रवि रमन, आर आर समूह, चेन्नई के प्रमोटर और मॉरीशस के मानद वकील से संबंधित 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने रवि रमन और उनकी पत्नी श्रीमती शोभना रवि के खिलाफ ओल्ड लेन समूह से प्राप्त 117 करोड़ रुपये की विदेशी निधियों / निवेशों को ठगने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए सीसीबी-I, चेन्नई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि एक विदेशी निवेशक ओल्ड लेन इंडिया अपॉर्चुनिटी से अंबत्तूर में एक टेक पार्क के विकास के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में प्राप्त 117 करोड़ रुपये की धनराशि का रवि रमन ने धोखाधड़ी किया है। समूह की कंपनियों की कुछ संपत्तियों को विदेशी निवेशक से प्राप्त धन के बदले संपार्श्विक/सुरक्षा के रूप में रखा गया था और विदेशी निवेशक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय सामान्य मुख्तारनामा (जीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, रवि रमन ने इस आधार पर एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की कि गिरवी रखी गई संपत्ति के दस्तावेज खो गए थे और बाद में सामान्य मुख्तारनामा (जीपीए) को अवैध रूप से रद्द करके गिरवी रखी संपत्तियों को बेच दिया।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि रवि रमन ने अपराध की अवधि के दौरान अपनी सिंगापुर स्थित इकाई मेसर्स आर आर इंडस्ट्रीज सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कुछ धनराशि निकाल ली थी, जिसे आगे उसके चचेरे भाई के स्वामित्व वाले नोवम कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंडोनेशियाई कोयला खदानों में निवेश किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 74 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज और 850 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दस्तावेज जब्त किए गए ।इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपराधिक प्रकृति के अन्य दस्तावेज़ भी जब्त किए गए।जांच से यह भी पता चला कि आरआर ग्रुप को विदेशी संस्थाओं से अन्य विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं और इसकी जांच की जा रही है।

आगे की जांच चल रही है।